रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2014/आषाढ़ 2, 1936
No. 1314] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2014/ASHADHA 2, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2014

सं. 84 (आर.ई.—2013)/2009—2014

विषय :— चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक।

का.आ. 1578(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, आईटीसी (एचएस) 2012, की अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य सामग्री सहित) के आयात पर अधिसूचना सं. 23 (आरई–2013)/2009–2014, दिनांक 18–06–2013 के अनुसार दिनांक 23–06–2014 तक रोक है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और चीन से इस पर रोक को और एक वर्ष के लिए अर्थात 23–06–2015 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :

चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (संघटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध पाउडर से युक्त चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों तथा कैंडीज/कनफैक्शनरी/खाद्य सामग्री सहित) के आयात पर रोक को और एक वर्ष के लिए अर्थात 23–06–2015 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

[फा. सं. 01/93/180/898/एएम 99/पीसी–2(ए)]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2014

No. 84 (RE – 2013)/2009-2014

Subject:—Prohibition on import of milk and milk products from China.

S.O. 1578(E).—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment in ITC (HS) 2012, Schedule 1 (Import Policy):

2. The prohibition on import of milk and milk products (including chocolates and chocolate products and candies/confectionary/food preparations with milk or milk solids as an ingredient) from China is effective till 23-06-2014 as per the Notification No. 23 (RE-2013)/2009-2014 dated 18-06-2013.

3. The matter has been reviewed and the prohibition on the same from China is extended for one more year, i.e., till 23-6-2015 or until further orders, whichever is earlier.

4. Effect of this Notification:

Prohibition on import of milk and milk products (including chocolates and chocolate products and candies/ confectionary/food preparations with milk or milk solids as an ingredient) from China is extended for one more year, i.e., till 23-6-2015 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 01/93/180/898/AM 99/PC-2 (A)]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.